कार्यालयः– जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा, (म0प्र0)
::– विविध आदेश –::

क्रमांक 1517 /परिपत्र/2020 रीवा, दिनांक 14/05/2020

मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश के पालन, कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1371 दिनांक 09.05.2020 के द्वारा समस्त न्यायालयों को दिनांक 01.01.2015 से समस्त आदेश/निर्णय/जमानत आदेश सी0आई0एस0 साफ्टवेयर में आवश्यक रूप से अपलोड कराया जाकर समस्त न्यायालयों को प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय समय 11:00 बजे से 02:00 बजे तक एवं सिविल न्यायाधीश वर्ग–01 एवं वर्ग–02, के न्यायालय का समय दोपहर 02 बजे से 05 बजे तक निर्धारित किया गया है।

अतः न्यायालयों/अनुभागों, में पदस्थ समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने कार्यालयीन/न्यायालयीन समय (10:30 बजे से 05:30 बजे) में कर्त्तव्य में उपस्थिति होकर निम्नानुसार कार्य संपादित किया जाना सुनिश्चित करें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य को दिनांक 23.05.2020 तक पूर्ण कराकर कार्य पूर्ण कराये जाने से संबंधित अपना प्रतिवेदन प्रेषित करें। उक्त कार्य को पूर्ण कराने में किसी प्रकार की विशेष कठिनाई के संबंध में मुझे अवगत करावें।

क्र.	न्यायालय का नाम	न्यायालयीन समय	अपने न्यायालय के जजमेंट आर्डर अपलोड किये जाने का समय
01	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	11 बजे से 02 बजे तक	02 बजे से 05 बजे तक
02	सिविल न्यायाधीश वर्ग–01 एवं वर्ग–02	02 बजे से 05 बजे तक	11 बजे से 02 बजे तक

(अरूण कुमार सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0

पृष्ठा. क्रमांक 1518/परिपत्र/2020 रीवा, दिनांक 14/05/2020

प्रतिलिपि,

1. समस्त न्यायालय/अनुभाग..
   ....
   रीवा/मउगंज/सिरमौर/त्योंथर/हनुमना/मनगंवा।

2. सिस्टम आफीसर/सिस्टम असिस्टेंट, जिला न्यायालय रीवा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा, म0प्र0